कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
(अपूर्वा होटल, रानीखेत रोड), द्वाराहाट (अल्मोडा)

दूरभाष नं0:— 05966-244171 Email Id :- eepmgsydwarahat@rediffmail.com

पत्रांकः— 289 / 28 सी / पी०एम०जी०एस०वाई० / 2017 दिनांकः— 2.06.17

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :— पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बाडीकोट—खुरेडी (कोटियाग) मोटर मार्ग (**Proposal No. FP/UK/ROAD/8970/2014**) के स्टेज–2 **Compliance Report** में आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.991 हैक्टेयर है, 01 हेक्टेयर से कम वन भूमि वाले प्रकरण में CA Land की आवश्यकता नहीं है। इसलिए CA Land की खतौनी एवं हस्तान्तरण आदेश अपलोड नहीं किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आपत्ति को हटाने की कृपा करें।

भवदीय,

02/06/2017

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोडा)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई–मेल: almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 4038 / 12-1(3) अल्मोड़ा दिनांक 21-02-2017

पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड लो0नि0वि0
पंजी0 सं0– 207
फाईल नं0– 28 सी
दिनांक– 07-03-17
द्वाराहाट

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत (फेज–8) बारीकोट–खुरड़ी (कोटियाग) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.991है0 वन भूमि का हस्तान्तरण। (प्रस्ताव संख्या 8970 / 2014)

संदर्भ – राज्य सरकार की पत्र सं0 171 / X-4-15/1(59)/2015/ दिनांक 01.04.2015 एवं आपकी पत्र सं0 2880 / FP/UK/ROAD/8970 / 2014दिनांक 31.07.2015

महोदय,

विषयगत प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तो की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपनी पत्र संख्या 86 / 28 सी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2017 दिनांक 10.02.2017 से मय संलग्नको सहित जो इस कार्यालय को भेजी गई है को मूल प्रति सहित आपको प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से भेजी जा रही है। कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– यथोपरि।

AE I
6/3/17

भवदीय,

(एस0आर0प्रजापति)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्रांक 4038 / तददिनांकित

✓ प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0(अपूर्वा होटल रानीखेत रोड) द्वाराहाट अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण को अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून में प्रस्तुत करें।

(एस0आर0प्रजापति)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
(अपूर्वा होटल, रानीखेत रोड) द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

दूरभाष नं0:— 05966-244171

Email Id :- eepmgsydwarahat@rediffmail.com

पत्रांकः— /पी0एम0जी0एस0वाई0/2017 दिनांकः—

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा :— प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत (फेज–8) के अन्तर्गत बारीकोट–खुरड़ी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.991 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2880/FP/UK/ROAD/8970/2014 दिनांक 10.04.2015 एवं राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 171/X-4-15/1(59)/2015 दिनांक 01.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा विषयगत मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गई है। (Annexure- A&B)

अतः विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है।

1. शर्त संख्या –1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या 100 अथवा प्रभावित वृक्षों के 10 गुना (15X10=150) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वनाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा आवश्यक धनराशि रू0 153564.00 निर्धारित कराकर वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन प्राप्ति रसीद (Annexure- 1-4)
2. शर्त संख्या –2 के अनुपालन में रू0 837395.00 (रू0 आठ लाख सैंतीस हजार तीन सौ पिचानब्बे मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन प्राप्ति रसीद संलग्न (Annexure 5-6)
3. शर्त संख्या –3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के दरों में बढ़ोत्तरी होने पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी का बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। (Annexure- 7)
4. शर्त संख्या 4–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कुल रू0 153564.00+837395.00=990959.00 को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal SB A/C No 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक, लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा कर दी गयी है। (ऑन लाईन रसीद Annexure 5-6)

5. शर्त संख्या –6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन करने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। (Annexure–8)
6. शर्त संख्या –7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह वचन दिया जाता है कि किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की दशा में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. शर्त संख्या –8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को संलग्न किया जा रहा है। (Annexure–9–16)
8. शर्त संख्या –9 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार –03 प्रतियों में।

भवदीय
9/2/17

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोडा)

पत्रांक :– 86/28 ए/ पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2017 दिनांक :– 10/02/2017

प्रतिलिपि :– 1. जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (कु0क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0 ज्योलीकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

9/2/17

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोडा)

6 APR 2015

संख्याः 171 /X-4-15/1(59)/2015

B(i)

प्रेषक,

पी0के0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 01 ~~मार्च~~ अप्रैल 2015

विषयः जनपद-अल्मोड़ा में बारीकोट-खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.991, हे0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विमाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2580/FP/UK/ROAD/8970/2014 दिनांक 16 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में बारीकोट-खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.991, हे0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (100) में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0- 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता I

B(ii)

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0पात्रो)
अपर सचिव।

संख्याः 171 (1)/X-4–15/1(59)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, द्वारहाट, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

Photocopy attested.

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

Annexure - 1-4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी , अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 568 / 7-1(4) अल्मोड़ा दिनांक- 15 - 05 - 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0नि0वि0
द्वाराहाट, जनपद– अल्मोड़ा

विषय :– संलग्न पत्रानुसार।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2880 / FP / UK / ROAD / 8970 / 2014 दि0 10–04–2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सम्बोधित तथा अन्य अधिकारियों सहित अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित सन्दर्भित पत्रांक के क्रम में शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर न्यूनतम निर्धारित संख्या 100 अथवा प्रभावित वृक्षों (15) के दस गुना (150) वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्राकलन वर्तमान दरों पर निर्धारित करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्न– यथोक्त

भवदीय

(हस्ताक्षर) 14/5

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना – प्रभावित वृक्षों के दस गुनी संख्या में

परियोजना का नाम – अल्मोड़ा में बाड़ीकोट–खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण पर प्रभावित होने वाले वृक्ष–15

वृक्षारोपण स्थल का नाम – जैंठा, खुरडी, कोटियाग सिविल क्षेत्रफल 0.991 हे0

रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या 15×10=150

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमाकंन	1.00	97.00	97.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	1.00	584.00	584.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 187×0.45×0.991	83.39	315.00	26267.85
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान			
	(1) पत्थरों के चैक डेम	3.00	9500.00	28500.00
	(2) वाटर हारवेस्टिंग टैंक	7.00	3000.00	21000.00
5	गड्ढा खुदान (0.30×0.30×0.45)	150.00	7.33	1099.50
6	निरीक्षण बटिया बनना	1.00	485.00	485.00
7	पौधो की कीमत (प्रथम वर्ष)	150.00	5.89	883.50
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो का व्यय	1.00	400.00	400.00
	योग – प्रथम चरण			79316.85

	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	150.00	1.15	172.50
2	पौधो की कीमत (प्रथम वर्ष)	150.00	1.15	172.50
3	पौध ढुलान कार्य	150.00	6.39	958.50
4	पौधारोपण व थालोबन्दी	150.00	2.06	309.00
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	150.00	0.76	114.00
6	खाद व दवा पर व्यय	150.00	0.21	31.50
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	1.00	4768.00	4768.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो का कटाना प्रति हे0	1.00	350.00	300.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	8.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियो को प्रोत्साहन देना	1.00		
	अ– प्रशिक्षण	1.00	400.00	400.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1.00	700.00	700.00
	योग द्वितीय चरण			8351.00

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 [illegible]

	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग तृतीय चरण			8237.00

	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग चतुर्थ चरण			8237.00

	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग पंचम चरण			8237.00

	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग षष्ठम चरण			8237.00

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0

	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग सप्तम चरण			**8237.00**
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग अष्टम चरण			**8237.00**
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग नवम चरण			**8237.00**
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील	1.00	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।			
	अ– प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
	ब– प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	योग दशम चरण			**8237.00**
	कुल योग			**153563.85**

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

4(a)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-07-2016

Agency Name.	PMGSY
Application No.	ROAD89702014951
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. PMGSY DIV. PWD. DwarahatAlmora
Amount(in Rs)	990959/-

Amount in Words :Nine Lakh Ninety Thousand Nine Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD89702014951
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-07-2016

Agency Name.	PMGSY
Application No.	ROAD89702014951
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. PMGSY DIV. PWD. Dwarahat Almora
Amount(in Rs)	990959/-

Amount in Words :Nine Lakh Ninety Thousand Nine Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD89702014951
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता I
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

Annexure-(6)

5	FP/UK/ROAD/8570/2014 Construction of Barikot-Khureri (Kotiyag) Motor Road	ROAD89702014951	01 Apr 2015	CA: 153564/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 837395/- NA : 0/- NA : 0/- NA : 0/- Total : 990959/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- NA : 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 21 Mar 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 21 Jul 2016 **Transaction Date** : 05 Feb 2015	Demand Letter Generated Challan

Disclaimer

An Innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता I
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

Annexure-7

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाडीकोट–खुरेरी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.50 कि0मी0)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

Annexure-8

जनपद कार्यबल एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कीये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाडीकोट–खुरेरी (कोटियाग) मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.50 कि0मी0)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण में जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता I
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT **ALMORA** (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Vinod Kumar Suman** I.A.S deputy commissioner, **Almora** on dated 10.3.15 at time 11:30AM at Collectriate in which application claiming rights in **Bhikiyasain** area measuring **0.991** hect for the construction of **Barikot-Khureri (kotiyag) Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Bhikiyasain** sub-division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; **Almora**

Dated:..............

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लोक निर्माण विभाग
(अल्मोड़ा)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी 10.03.15
Dputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

Photocopy Attested

अधिशासी अभियन्ता,
(पी.एम.जी.एस.वाई.)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता I
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट